

हिन्दी अकादमी, दिल्ली  
समुदाय भवन, पदम नगर,  
किशनगंज, दिल्ली-110007

फा0सं0 :

दिनांक :

## अधिसूचना

एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, हिन्दी अकादमी, दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित हिन्दी अकादमी, दिल्ली की संचालन-समिति की बैठक दिनांक 8 जुलाई, 2021 में अकादमी के उप-सचिव पद के भर्ती नियम का प्रारूप अनुमोदित किया गया है। अकादमी में उप-सचिव पद के भर्ती नियम संलग्न के अनुसार माने जायेंगे।

(डॉ० जीतराम भट्ट)  
सचिव

संलग्न - भर्ती नियम।

फा0सं0 :4(5)/2020-21/स्था0/का0आदेश/हि0अका0 /423 दिनांक : 08.07.2021

प्रतिलिपि :-

01. स्थापना विभाग, हिन्दी अकादमी, दिल्ली।
02. लेखा विभाग, हिन्दी अकादमी, दिल्ली।
03. अकादमी की वेबसाईट।
04. नोटिस-बोर्ड।

(डॉ० जीतराम भट्ट)  
सचिव

अनुलग्नक-III

1.	क) पदनाम	उप राधिय
	ख) विभाग/मंत्रालय का नाम	हिन्दी अकादमी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की स्वायत्ताशारी संस्था)
2.	मूल भर्ती नियमों की अधिसूचना की तिथि व उपरांत संशोधनों का विवरण  (संदर्भ के लिए मूलभर्ती नियमों व उपरांत संशोधनों की प्रतिलिपि उचित पता का सहित संलग्न होनी चाहिए)	उपलब्ध नहीं।
3.	वेतनमान	रु.53100-167800  (स्तर-9)
4.	पद का वर्गीकरण	श्रेणी - 'ख'





भव सं.	शीर्षक	अनुमोदित/ मौजूदा भती नियमों में उल्लिखित प्रायमान	प्रस्तावित संशोधित प्रवधान	प्रस्तावित संशोधन का कारण
1	2	3	4	5
1.	पदनाम	उप सचिव	उप सचिव	यथावत
2.	पदों की संख्या	01	01 (2020)* *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	यथावत
3.	वर्गीकरण	ग्रुप - ए	श्रेणी - 'ख'	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
4.	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	रू.9300-34800 ग्रेड पे रू.5400/-	रू.53100-167800 (स्तर-9)	सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप परिवर्तन।
5.	यथा घयन पद है अथवा गैर घयन पद	घयन	लागू नहीं।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
6.	सीधी भती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	18-30 वर्ष।	लागू नहीं।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
7.	अपेक्षित शैक्षिक तथा योग्यताएँ अन्य	अनिवार्यः 1.मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर तथा अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान। 2.अनुसंधान, संपादन, लेखन, प्रकाशन, लेखा बजट, प्रशासन संबंधी क्षेत्रों में कम से कम 6 वर्ष का अनुभव तथा कोषाध्यक्ष, वित्तीय व संगठनात्मक कार्यों तथा सूचना के अधिकारके अंतर्गत सहायक जनसूचना	अनिवार्यः 1.मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर तथा अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान। 2.अनुसंधान, संपादन, लेखन, प्रकाशन, लेखा बजट, प्रशासन संबंधी क्षेत्रों में कम से कम 6 वर्ष का अनुभव	यथावत।

		अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन के क्षेत्र में समुचित अनुभव।	तथा योगाध्यक्ष, वित्तीय व रांगठनात्मक कार्यों तथा सूचना के अधिकारके अंतर्गत सहायक जनसूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन के क्षेत्र में समुचित अनुभव।	
8.	क्या सीधी भती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	यथावत।
9.	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	अधिकतम दो वर्ष।	पदोन्नति के लिये दो वर्ष।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
10.	भती की पद्धति सीधी भती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भती/पदोन्नति।	मिश्रित पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) व पदोन्नति]	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
11.	यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भती होनी हो, तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है।	हिन्दी अकादमी में 6500-10500 के वेतनमान में 8 वर्ष से कार्यरत सहायक सचिव।	पदोन्नति: अनुभाग अधिकारी, सहायक सम्पादक, सहायक सचिव प्रकाशन व सहायक सचिव कार्यक्रम वेतनमान स्तर-7 (44900-142400) के पद पर 3 वर्ष का अनुभव। प्रतिनियुक्ति (कम अवधि के लिए अनुबन्ध) द्वारा : क. (i) मूलसंवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400)	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।

-154-

			<p>के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा सहित।</p> <p>तथा</p> <p>उपरोक्त कॉलम 7 में वर्णित शैक्षणिक योग्यताएँ रखने वाले।</p> <p>(केन्द्रीय सरकार के उरी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः 4 वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p>	
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?	हिन्दी अकादमी की कर्मचारी घयन समिति/कार्यकारिणी समिति/संचालन समिति।	<p>'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति</p> <p>(पदोन्नति पर विचार करने हेतु)</p> <p>1. सचिव, हिन्दी अकादमी, दिल्ली सरकार - अध्यक्ष</p> <p>2. संयुक्त/अतिरिक्त/विशेष सचिव, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार- सदस्य</p> <p>3. उपाध्यक्ष, हिन्दी अकादमी द्वारा नामित कार्यकारी समिति का एक सदस्य - सदस्य</p> <p>4. दिल्ली सरकार में उप-सचिव स्तर का अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग का कोई एक अधिकारी</p>	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।

			- सावरग	
13	ये परिस्थितियाँ जिनमें भती के लिए रांग लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	सांगू नहीं।	सांगू नहीं।	गणनात।

भ्रष्टाचार के प्रतिनिधियों के नाम, पता और टेलीफोन नंबर जिनके नाम इन प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण/प्रारंभिक निर्णय के लिए भती की जा सकती है, यदि आवश्यक हो। नाम \_\_\_\_\_ पता \_\_\_\_\_ टेलीफोन नं. \_\_\_\_\_ मोबाईल नं. \_\_\_\_\_

स्थान : दिल्ली

दिनांक : / / 2020

प्रस्ताव भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

पूरुभाष चं.